न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **70 / 2021 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्रीमती विमला देवी परसोया पत्नि छगनलाल निवासी 2 एफ 16, नया हाउसिंग बोर्ड, शास्त्रीनगर भीलवाड़ा।	**बनाम**	सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, हुरड़ा जिला भीलवाड़ा
––अपीलार्थी		**––प्रत्यर्थी**

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उपस्थित :– प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 12.10.2021

अपीलार्थियां की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, हुरड़ा जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 07.09.2021 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थियां ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर संख्या 52 एफ 390895 राशि 10.00 रूपये के साथ एक आवेदन दिनांक 03.08.2021 को सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, हुरड़ा जिला भीलवाड़ा को प्रेषित किया।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 20.09.2021 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थिया एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये तथा प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, हुरड़ा जिला भीलवाड़ा द्वारा पत्रांक 7566 दिनांक 12.10.2021 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। अपीलार्थिया द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं –

1. अपीलार्थिया के आवेदन–पत्र से चाही गयी सूचना नियमानुसार कार्यालय तहसीलदार, भीलवाड़ा के पत्रांक 6566 दिनांक 12.10.2021 द्वारा अपीलार्थी को जरिये डाक प्रेषित कर दी गयी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करा दिये जाने से अपील अपीलार्थिया अस्वीकार की जाती है। साथ ही लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार हुरड़ा जिला भीलवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का निर्धारित समयावधि में निस्तारण किया जावें।

आदेश आज दिनांक 12.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा